28.2.23 पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य [illegible] बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक 14.3.23 को पेश हो।

14.3.23 पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य [illegible] बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक 25.4.23 को पेश हो।

01.06.23 पत्रावली महंगाई राहत कैम्प एंव प्रशासन गांवो के संग अभियान 2023 कैम्प ग्राम पंचायत चारखेड मे पेश हुई। प्रार्थी स्वंय उपस्थित, तहसीलदार माण्डल से रिर्पोट प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षीगण के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शामिल पत्रावली किये गये। प्रार्थी ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे दस्तावेजो के आधार पर अपना नाम बालु के बजाय बाबूलाल राजस्व रिकार्ड मे संशोधन किये जाने का निवेदन किया।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया तथा तहसीलदार माण्डल की प्रस्तुत रिर्पोट का अध्ययन किया प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सैकण्डरी स्कुल की फोटो प्रति अंकतालिका, आधार कार्ड की फोटो प्रति, चरित्र प्रमाण पत्र की फोटो प्रति एंव प्रमाण पत्र सरपंच ग्राम पंचायत चारखेड़ आदि पर मनन किये जाने पर जाहिर आया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है, अतः

हुकमीचन्द रोहलानिया
उपखण्ड अधिकारी माण्डल
प्रशासन गाँवो के संग अभियान 2023

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
:: आदेश :: प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम चांखेड पटवार हल्का चांखेड तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा के खाता सं. 334 मे अंकित आराजी नं. 1102, 1104, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1113, 1122 कुल किता 09 रकबा कुल 6.7279 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रिकार्ड मे अंकित खातेदार बालु के बजाय बाबुलाल किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार तहसीलदार माण्डल राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करे। पालना हेतु तहसीलदार माण्डल को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। हुक्मीचन्द रोहलानिया उपखण्ड अधिकारी माण्डल प्रशासन गाँवो के संग अभियान 2023	